

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2019/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्री अमर सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक, भरतपुर।	30.08 1991	27 वर्ष	30 08.2018	एल-11
2.	श्री रामसहाय, वरिष्ठ सहायक, सवाईमाधोपुर।	07 09.1991	27 वर्ष	07.09 2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

51 ✓

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक . 13/03/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2019/723

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/सवाई माधोपुर।
- 2 अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प क., भरतपुर
- 3 जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, भरतपुर।
- 4 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

7

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर